

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या-3972 / 2005 / बाड़मेर

1. श्री परमानन्द - पुत्र श्री खेराजमल,
2. श्री दौलतराम - पुत्र श्री खेराजमल,
समस्त जाति-सिंधी (लोहणा) निवासी
मोनिका शू स्टोर, स्टेशन रोड तहसील व
जिला बाड़मेर

.....प्रार्थीगण

बनाम

श्री मोहनलाल पुत्र श्री केसरीमल, जाति ओसवाल
सेठिया, निवासी माल गौदाम रोड, बाड़मेर तह. व जिला
बाड़मेर (मृत्यु दिनांक 12.04.2011)

विधिक वारिसान:

1. श्रीमती मोहनी देवी धर्मपत्नी स्व. श्री मोहनलाल
2. श्रीमती शकुन्तला देवी पुत्री स्व. श्री मोहनलाल
3. प्रवीण कुमार पुत्र स्व. श्री मोहनलाल
समस्त जाति- ओसवाल सेठिया निवासी- माल
गौदाम रोड बाड़मेर, तहसील व जिला बाड़मेर

.....अप्रार्थी

एकलपीठ

श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित : :

श्री हगामीलाल

उप-राजकीय अभिभाषक

.....प्रार्थीगण की ओर से

श्री गिरीश पारीक

अभिभाषक

.....अप्रार्थीगण की ओर से

निर्णय दिनांक : 26.09.2016

निर्णय

1. यह निगरानी प्रार्थीगण श्री परमानन्द व श्री दौलतराम ने कलक्टर (मुद्रांक), वृत्त जोधपुर (जिसे आगे 'कलक्टर मुद्रांक' कहा गया है) के आदेश दिनांक 07.11.2005 के विरुद्ध राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 (जिसे आगे 'मुद्रांक अधिनियम' कहा गया है) की धारा 65 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है जिसके द्वारा कलक्टर (मुद्रांक) वृत्त जोधपुर ने श्रीमान पीठासीन अधिकारी, किराया अधिकरण, बाड़मेर को मुद्रांक कर के संबंध में सूचना भिजवाई है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि जिला कलक्टर बाड़मेर ने पत्र क्रमांक वाद/05/1214 दिनांक 20.10.2005 द्वारा कलक्टर (मुद्रांक) जोधपुर को श्रीमान पीठासीन अधिकारी, किराया अधिकरण, बाड़मेर के पत्र क्रमांक 1233 दिनांक 22.08.2005 के संलग्न प्राप्त किराया याचिका संख्या 04/03 मोहनलाल बनाम परमानन्द व 05/03 मोहनलाल बनाम वन्नाराम में मूल स्टाम्प मुद्रांक राशि के तय कर उक्त प्रकरण पीठासीन अधिकारी, किराया अधिकरण, बाड़मेर को भिजवाने हेतु निर्देशित किया। कलक्टर (मुद्रांक) जोधपुर ने अपने पत्र क्रमांक कोर्ट/विधि/05/1960 दिनांक 07.11.2005 के द्वारा मुद्रांक कर की गणना करते हुए सूचित किया कि निष्पादित दिनांक से आर्टिकल 29 स्टाम्प अधिनियम के

२१

लगातार.....2

अन्तर्गत मुद्रांक कर देय है यानि किरायेदार ही मुद्रांक कर अदा करेगा। याचिका संख्या 04/03 से संबंधित भाड़ा चिट्ठी दिनांक 21.02.1993 का मुद्रांक कर 2200/- रु. तथा भाड़ा चिट्ठी दिनांक 21.01.1996 का मुद्रांक कर 2310/- रु. तय किया गया। प्रार्थी ने उक्त पत्र दिनांक 07.11.2005 से व्यथित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की है।

3. निगरानी दर्ज कर रिकार्ड व रेस्पोंडेंट को तलब किया गया। रिकार्ड के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय ने सूचित किया कि श्रीमान किराया प्राधिकरण सेशन न्यायाधीश बाड़मेर द्वारा तीन किराया भाड़ा चिट्ठी पत्रों में श्रीमान जिला कलक्टर बाड़मेर से जानकारी चाही गयी थी कि इन तीनों याचिकाओं में मुद्रांक कर क्या देय होगा। श्रीमान जिला कलक्टर बाड़मेर द्वारा मूल भाड़ा चिट्ठियां न्यायालय को भिजवाई गईं जिनमें दिनांक 07.11.2005 को मुद्रांक कर कितना देय होगा रिपोर्ट कर मूल पत्रावलियां श्रीमान सेशन न्यायाधीश किराया प्राधिकरण बाड़मेर को भिजवा दी गईं। न्यायालय से कोई पत्रावली निर्णित नहीं की गई है सिर्फ मुद्रांक कर सैक्शन 29 में अदा करने हेतु मार्गदर्शन भेजा गया है। श्रीमान किराया प्राधिकरण से भाड़ा चिट्ठी दिनांक 21.02.1993 व दिनांक 21.01.1996 की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त हुईं। पत्रावली में उपलब्ध सामग्री निर्णय हेतु पर्याप्त होने के कारण पत्रावली के अंतिम निस्तारण हेतु उभयपक्ष की सहमति से बहस सुनी गई।
4. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की ओर से कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आदेश पारित करने से पूर्व उन्हें नोटिस जारी नहीं किया व न ही उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किया जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 32, 34, 35, व 36 राजस्थान मुद्रांक अधिनियम 1998 की पालना नहीं की गई है। मुद्रांक कर प्रार्थी द्वारा देय नहीं है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय में याचिका अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त कर पत्रावली रिमाण्ड की जावें।
5. विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण की ओर से कहा गया कि राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 1998 की धारा 32(ख) के अनुसार हस्तांतरण पत्र की दशा में प्रार्थीकर्ता द्वारा स्टाम्प कर देय है। भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 29(सी) के अनुसार भी स्टाम्प कर Lessee द्वारा देय है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत हैं। अतः निगरानी खारिज की जावें।
6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :-
9. विचाराधीन प्रकरण में निगरानीकर्ता का मुख्य आधार यह है कि उसे अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई का अवसर नहीं मिला है व देय मुद्रांक कर अदा करने का दायित्व निगरानीकर्ता का नहीं है।

जिला कलक्टर बाड़मेर ने पत्र क्रमांक वाद/05/1214 दिनांक 20.10.2005 द्वारा कलक्टर (मुद्रांक) जोधपुर को श्रीमान पीठासीन अधिकारी, किराया अधिकरण, बाड़मेर के पत्र क्रमांक 1233 दिनांक 22.08.2005 के संलग्न प्राप्त किराया याचिका संख्या 04/03 मोहनलाल बनाम परमानन्द व 05/03 मोहनलाल बनाम वन्नाराम में मूल स्टाम्प मुद्रांक राशि तय कर उक्त प्रकरण पीठासीन अधिकारी, किराया

2m

अधिकरण, बाड़मेर को भिजवाने हेतु निर्देशित किया। कलक्टर (मुद्रांक) जोधपुर ने अपने पत्र क्रमांक कोर्ट/विधि/05/1960 दिनांक 07.11.2005 के द्वारा मुद्रांक कर की गणना करते हुए सूचित किया कि निष्पादित दिनांक से आर्टिकल 29 स्टाम्प अधिनियम के अन्तर्गत मुद्रांक कर देय है यानि किरायेदार ही मुद्रांक कर अदा करेगा। याचिका संख्या 04/03 से संबंधित भाड़ा चिट्ठी दिनांक 21.02.1993 का मुद्रांक कर 2200/- रु. व भाड़ा चिट्ठी दिनांक 21.01.1996 का मुद्रांक कर 2310/- रु. तय किया गया। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश के द्वारा कोई अंतिम आदेश पारित नहीं किया है बल्कि माननीय किराया प्राधिकरण से प्राप्त पत्र के प्रत्युत्तर में मुद्रांक अधिनियम से संबंधित प्रशासनिक विभाग के अधिकारी होने के आधार पर सलाह प्रदान की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस संबंध में दोनों ही पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया है क्योंकि सलाह देने के लिए यह आवश्यक भी नहीं था। फिर भी प्रकरण में मान भी लिया जाए कि प्रार्थी को सुना नहीं गया है तो यह न्यायालय उचित समझता है कि प्रार्थी द्वारा उठाये गये मुख्य बिन्दु कि मुद्रांक कर किसके द्वारा देय है, पर गुणावगुण के आधार पर इस स्तर पर निर्णय कर दिया जावे। पुराने अधिनियम के अन्तर्गत मुद्रांक कर देय होने के संबंध में भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा(29) सी निम्न प्रकार है :-

Section 29. Duties by whom payable— In the absence of an agreement to the contrary the expense providing the proper stamp shall be borne—

(c) in the case of a conveyance (including a re-conveyance of mortgaged property)—by the grantee; in the case of a lease or agreement to lease—by the lessee or intended lessee;

अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त प्रावधान के अन्तर्गत मुद्रांक कर lessee द्वारा देय माना है।

नये अधिनियम राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 1998 जो कि दिनांक 27.05.2004 से लागू हुआ है में भी इस संबंध में समानांतर प्रावधान निम्न प्रकार है—


32. Duties by whom payable.— In the absence of an agreement to the contrary the expense of providing the proper stamp shall be borne,—

(b) in the case of a conveyance (including a re-conveyance of mortgaged property)— by the grantee; in the case of a lease or agreement to lease—by the lessee or intended lessee;

उपरोक्त प्रावधान के अनुसार भी स्टाम्प कर अदा करने का दायित्व lessee का है। इस प्रकार विधिक प्रावधान के अनुसार स्टाम्प कर अदा करने का दायित्व lessee का है तथा अपीलाधीन आदेश में भी अधीनस्थ न्यायालय ने यही माना है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। जहां तक इस बिन्दु का प्रश्न है कि किराया अधिकरण के समक्ष प्रश्नगत दस्तावेज के माध्यम से सम्पत्ति के स्वामी अर्थात् अप्रार्थीगण द्वारा वाद प्रस्तुत करने के कारण इस दस्तावेज को मुद्रांकित करने हेतु स्टाम्प कर सम्पत्ति के स्वामी द्वारा अदा किया जाना चाहिए, इस संबंध में इस न्यायालय का यह मत है कि दस्तावेज का निष्पादन दोनों पक्षों द्वारा किया जाता है तथा ऐसी स्थिति में मुद्रांक कर की देयता का बिन्दु मुद्रांक अधिनियम के प्रावधान के

अन्तर्गत ही परीक्षण किया जायेगा जिसके अनुसार उपरोक्त विवेचना अनुसार मुद्रांक कर अदा करने का दायित्व lessee का है। मुद्रांक कर की राशि के संबंध में कोई विवाद नहीं है।

10. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर निगरानीकर्ता की निगरानी खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रति समस्त संबंधित को जारी हो व अधीनस्थ न्यायालय कलक्टर (मुद्रांक) जोधपुर एवं माननीय किंराया प्राधिकरण, बाड़मेर को भी भिजवाई जावें। पत्रावली नम्बर से कम होकर फैसल शुमार हो। निर्णय सुनाया गया।


(निथूराम)
सदस्य